4041
1/12/09

राजस्थान सरकार
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
निदेशालय, खान एंव भूविज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन/Khanij Bhawan, उदयपुर/Udaipur.313001
दूरभाष/Phone 0294-2415091-94, फेक्स/Fax:0294-2410526
E-mail : dmgraj@dmg-raj.org

क्रमांकः निखाभू/सीकर/सीसी.4/प.1(1) 224/2008/1246 दिनांकः 30.11.09

आदेश

चूँकि सर्वश्री रिगालिया मिनरल्स प्रा0 लि0 जयपुर द्वारा प्रधान खनिज रियायत नियमावली,1960 के नियम 22(1) के अन्तर्गत खनिज क्वार्टज, फेल्सपार, सिलिकासैण्ड के लिये निकट ग्राम डूंगा का नागल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में खनन पट्टा अनुदान चाहने हेतु दिनांक 3.11.08 को कार्यालय खनि अभियंता, सीकर में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

और चूकि निदेशालय संतुष्ट है कि आवेदक प्रवर्तमान सम्बद्ध नियमों के अनुसार उक्त क्षेत्र के खननपट्टा अनुदान हेतु उपर्युक्त पक्ष (पार्टी) है तथा वह क्षेत्र जिसके लिए आवेदक द्वारा रियायत चाही गई है, अनुदान के लिए रिक्त है । अधीक्षण खनि अभियन्ता, वृत जयपुर के पत्र क्रमांक SME/Jai-Cir./Mine Plan /Major / F-136/09/2487 दिनांक 27.11.09 के द्वारा खनन योजना एवं प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान का अनुमोदन किया जा चुका है।

अतः खनिज रियायत नियमावली, 1960 एवं एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 तथा उसमें समय-समय पर हुए संशोधनों, उल्लेखित निबंधों और प्रतिबन्धो पर आवेदक के पक्ष में निम्नांकित खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता हैः-

1.	खनिज-	क्वार्टज, फेल्सपार, सिलिकासैण्ड।
2.	क्षेत्रफल एवं क्षेत्र का विवरण	4.9391 है0 निकटग्राम डूंगा का नागल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में विवरण पत्र के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल मौके पर सीमांकन के समय उपलब्ध भूमि के अनुसार निर्धारित होगा।
.3	खननपट्टा अवधि-	संविदा पंजीयन की तिथि से 30 वर्ष ।
4.	स्थिर भाटक-	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) एक्ट 1957 की तृतीय अनुसूची के अनुसार एवं समय समय पर उसमें संशोधनानुसार ।
5.	प्रतिभूति राशि-	रू. 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र)।
6.	अधिशुल्क-	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार एवं समय समय पर उसमें संशोधनानुसार ।
7.	भूतल भाटक-	जैसा कि राजस्व अधिकारी निर्धारित करें।
8.	अन्य कर-	राजकीय नियमानुसार।
9.	अन्य शर्ते-	पट्टाधारी संविदा निष्पादन से पूर्व एम.सी.डी.आर. 1988 के नियम 23 (एफ) के तहत वित्तीय आश्वासन के रूप में रूपयां 15,000/- प्रति हैक्टर अथवा एक लाख रूपया जो भी अधिक हो उसके बराबर नियमों में दिये गये प्रावधान के अनुसार जमा करायेगा ।

नोटः-

1. यदि अनुदायी इस आदेश की तिथी से छः माह के भीतर समुचित इकरारनामा निष्पादित नही करायेगा तो यह आदेश बिना सूचना के ही प्रतिसंहृत (रिवोक) कर दिया जायेगा।
2. जब तक अनुदानी समुचित इकरारनामा निष्पादित कर संविदा का पंजीयन करा प्रस्तुत नहीं कर दे, तब तक क्षेत्र में खनन कार्य आरम्भ नहीं करेगा ।

3. Reconnaissance Permit एवम पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के तहत बेस मेटल के हवाई सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण कार्य हेतु स्वीकृत Reconnaissance Permit एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र धारक को पूर्वेक्षण कार्य मे बाधा उत्पन्न नही करेगा ।

4. Reconnaissance Permit एवम पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के तहत क्षेत्र मे कोई बेस मेटल पाया जाता है एवं बेस मेटल का कोई खननपट्टा स्वीकृत होता है तो आपके पक्ष मे स्वीकृति खान को अनुदान हेतु छोडना होगा ।

30/11/09

निदेशक
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर ।

कमांकःनिखाभू/ 1247-57

दिनांकः 30-11-09

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. खनि अभियंता, सीकर को उनके पत्र कमांकः 3781 दिनांक 25.9.09 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ कि :—

(क) संविदा निष्पादन हेतु समस्त औपचारिकताए स्वीकृति आदेश प्राप्ति की तिथि से 45 दिन के भीतर पूर्ण करावें एवंम संविदा निष्पादन आदेश जारी होने की तिथि से छः माह मे किया जावे ।

(ख) सीमांकन रिपोर्ट में इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा दिया जायेगा कि सीमांकित क्षेत्र वन भूमि मे नही आता है एवं वन भूमि से 25 मीटर से अधिक दूरी पर हैं ।

(ग) आवेदक से आदेश के नोट मे अंकित कम संख्या 3 व 4 के अनुसार अण्डर टेकिंग प्राप्त कर संविदा निष्पादन करे।

रजि.ए0डी 2. सर्वश्री रिगालिया मिनरल प्रा0 लि0, ए—28 अनिता कोलोनी, बजाज नगर, जिला जयपुर—राज0 को भेजकर लेख है कि संविदा निष्पादन की पूर्ण औपचारिकता आदेश प्राप्ति के 45 दिन के भीतर पूर्ण करावें एवंम आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह मे संविदा निष्पादन आवश्यक रूप से करावे, अन्यथा बिना सूचना के स्वीकृति विलोपित कर दी जावेगी। ।

3. महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, प्रथम मंजिल, डी ब्लोक, सिविल लाईन, इन्दिरा भवन नागपुर ।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरों, अजमेर ।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर ।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, सीकर ।
8. सम्भागीय आयूक्त, जयपुर ।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. अधीक्षक भूवैज्ञानिक, रिमोट सेंसिंग, के0का0 उदयपुर ।
11. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.ाा)